कार्यालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग
संख्या–676(1)/07/डी0आर0/एस–09/2021–22
प्रयागराज, दिनांकः 19 फरवरी, 2025

विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या–A-4/E-1/2023, दिनांक–04.09.2023 द्वारा विज्ञापित स्टाफ नर्स आयुर्वेद (महिला/पुरूष) मुख्य (लिखित) परीक्षा–2023, के अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक–23.02.2025, (रविवार) को एक सत्र में (पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक) लखनऊ जनपद में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, शिविर कार्यालय, सेक्टर–डी अलीगंज, लखनऊ के परीक्षा भवन (भूतल) पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने से 45 मिनट पूर्व प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र आयोग के वेबसाइट **https://uppsc.up.nic.in पर दिनांक–19.02.2025** से उपलब्ध है। अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायांप्रति लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि "परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल कराना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षडयंत्र करना आदि कृत्य अपराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती हैं।"

19/02/25
(डी० पी० पाल)
उप सचिव